न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 02/2007

प्रार्थी

सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रामाराम जाति मीणा निवासी केशरपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 4 पी.डी.आर. एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री जिला रसद अधिकारी सिरोही।
2. श्री महावीरसिंह देवडा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक 09.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जिला रसद अधिकारी सिरोही की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध S.G.R.Y.(S.C.) तथा अनुग्रह सहायता एवं N.F.F.W.P. के अन्तर्गत 234.96 क्विंटल गेहूं के गबन की राशि रूपये 1,08,082/– अक्षरे एक लाख आठ हजार बयासी की वसूली हेतु पी.डी.आर. एक्ट के तहत यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महावीरसिंह देवडा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी [illegible] की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री [illegible] जाति मीणा निवासी केशरपुरा को उचित मूल्य विक्रेता केशर[illegible] में [illegible] था। उसे अकाल राहत संवत 2059 में अभाव की स्थिति के दौरान जिले [illegible] खोले गए अकाल राहत कार्यो परनियोजित श्रमिकों को [illegible] का आंशिक भुगतान गेहूं के रूप में किया [illegible] तथा अनुग्रह सहायता एवं N.F.F.W.P. के अन्तर्गत [illegible]दूरी का आंशिक भुगता[illegible] के रूप में किया जाने हेतु जिला रसद कार्यालय के अधिनस्थ प्राधिकार पत्र के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उचित मूल्य विक्रेता केशरपुरा के रूप में अप्रार्थी की नियुक्ति होने से थोक–विक्रेता के माध्यम से गेहूं का आवंटन किया जाता था। जिसमें अप्रार्थी द्वारा जिला रसद कार्यालय के प्राधिकार की शर्तों का उल्लघंन करते हुए उक्त योजनाओं के 234.96 क्विंटल गेहूं का गबन किया है जिसकी प्रवर्तन निरीक्षक, तहसीलदार कार्यालय, शिवगंज ने पुलिस थाना, शिवगंज तहसील शिवगंज में एफ.आई.आर. संख्या 172/2003 दिनांक 01.09.2003 को दर्ज करवाई गई एवं गबन राशि की वसूली हेतु यह प्रकरण इस न्यायालय में पी.डी.आर. एक्ट की धारा 4 के तहत पेश किया है।

अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री महावीरसिंह देवडा द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा गेहूं का कोई गबन नहीं किया है जितना गेहूं उसे वितरण करने के लिए दिया गया था उसी के अनुपात में अकाल राहत के मजदूरों को कूपनों के आधार पर वितरित कर दिया गया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अप्रार्थी श्री रमेशकुमार पुत्र श्री रामाराम जाति मीणा निवासी केशरपुरा को अकाल राहत संवत 2059 में अभाव की स्थिति के दौरान जिले में खोले गए अकाल राहत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का आंशिक भुगतान गेहूं के रूप में किया जाने तथा अनुग्रह सहायता एवं N.F.F.W.P. के अन्तर्गत मजदूरी का आंशिक भुगतान गेहूं के रूप में किया जाने हेतु जिला रसद कार्यालय के अधिनस्थ प्राधिकार पत्र के तहत उचित मूल्य विक्रेता केशरपुरा के रूप में अप्रार्थी की नियुक्ति होने से थोक–विक्रेता के माध्यम से गेहूं का आवंटन किया जाता था। जिसमें अप्रार्थी द्वारा जिला रसद कार्यालय के प्राधिकार की शर्तों का उल्लघंन करते हुए उक्त योजनाओं के 234.96 क्विंटल गेहूं का गबन किया है जिसकी प्रवर्तन निरीक्षक, तहसीलदार कार्यालय, शिवगंज ने पुलिस थाना, शिवगंज तहसील शिवगंज में एफ.आई.आर. संख्या 172/2003 दिनांक 01.09.2003 को दर्ज करवाई गई। अप्रार्थी अधिवक्ता यह सिद्ध करने में असफल रहे कि अप्रार्थी द्वारा गेहूं का गबन नहीं किया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस प्रकरण से सम्बन्धित विशिष्ट न्यायालय एससी एण्ड एसटी (अत्याचार निवारण) के निर्णय की प्रति पेश की गई। उक्त निर्णय में भी अप्रार्थी के विरूद्ध दोषसिद्धि की पुष्टि की गई एवं अप्रार्थी को 10,000/– रूपये की जमानत पर रिहा किया गया। अतः ऐसी स्थिति में पी.डी.आर. एक्ट की धारा 4 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए जाते है। साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से मूल राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल करने के आदेश दिए जाते है। प्रमाण पत्र वास्ते वसूली कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा को भेजा जावे एवं प्रति प्रभारी अधिकारी सहायता शाखा एवं जिला रसद अधिकारी सिरोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner